न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **130/2024** दायर दिनाँक **18.06.2024**

वादी		**प्रतिवादी**
1.मोहम्मद कामुदीन पुत्र मो. सतार उर्फ लाल मो. जाति देशवाली निवासी मल्लाबासनी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज।	**बनाम्**	1. तहसीलदार मौलासर

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री नारायणराम परिहार एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.04.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 195 रकबा 5.7500 है. खसरा संख्या 208 रकबा 0.2000 है. खसरा नम्बर 214 रकबा 0.9900 है. खसरा संख्या 217 रकबा 1. 2900 है. खसरा नम्बर 226 रकबा 2.6900 है. सरहद ग्राम मल्लाबासनी पटवार हल्का चौलुखां में अवस्थित है। उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम इकराम पुत्र सतार दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम मोहम्मद कामुदीन पुत्र मो. सतार है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम इकराम पुत्र सतार दर्ज होने से वादी को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है एवं कानूनी अडचने उत्पन्न हो रही है। जिससे वास्तविक नाम जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत् आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद ग्राम मल्लाबासनी पटवार हल्का चौलुखां के खेत खसरा संख्या 195 रकबा 5.7500 है. खसरा संख्या 208 रकबा 0.2000 है. खसरा नम्बर 214 रकबा 0. 9900 है. खसरा संख्या 217 रकबा 1.2900 है. खसरा नम्बर 226 रकबा 2.6900 है. में दर्ज खातेदार इकराम पुत्र सतार के स्थान पर मोहम्मद कामुदीन पुत्र मो. सतार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुरूप वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व/2026/212 दिनांक 09.04.2026 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम मल्लाबासनी के खेत खसरा संख्या 195, 208, 214, 217, 226 की भूमि में वादी का नाम इकराम पुत्र सतार के स्थान पर मोहम्मद कामुदीन पुत्र मो. सतार दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मल्लाबासनी के खसरा संख्या 217, 195, 208, 214, 226 में खातेदार इकराम पुत्र सतार जाति देशवाली सा. देह के रूप में वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ग्राम मल्लाबासनी के नामान्तकरण संख्या 245 निर्णय दिनांक 05.02.2014 द्वारा विरासत से सतार पुत्र उमरअली के स्थान पर वारिस के रूप में इकराम पुत्र सतार वगै. कौम देशवाली सा. देह दर्ज हुआ है। सरपंच/प्रशासक ग्राम पंचायत चौलूखां के प्रमाण पत्र, मो. कामूदीन की पत्नी फराना के शपथ पत्र, अन्य साक्षीगण व सम्बधीगणों व सहखातेदारों के बयानपत्र व अन्य पहचान दस्तावेजों के मुताबिक मोहम्मद कामुदीन व इकराम पुत्र सतार कौम देशवाली सा. मल्लाबासनी दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम मल्लाबासनी पटवार हल्का चौलुखां के खेत खसरा संख्या 195 रकबा 5.7500 है. खसरा संख्या 208 रकबा 0.2000 है. खसरा नम्बर 214 रकबा 0. 9900 है. खसरा संख्या 217 रकबा 1.2900 है. खसरा नम्बर 226 रकबा 2.6900 है. भूमि में वादी का नाम इकराम पुत्र सतार के स्थान पर मोहम्मद कामुदीन पुत्र मो. सतार दुरूस्त किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.04.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना